

पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइम टावर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुडगांव, हरियाणा, 122002
सीआईएन : U67100HR1998PTC113312

पाइन लैब्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 38 बीच रोड, #29-11, साउथ बीच टॉवर, सिंगापुर 189767
कंपनी पंजीकरण संख्या : 201319166R

सार्वजनिक सूचना

(दिनांक 4 जुलाई, 2022 के 'गैर-बैंक पीएसओ के नियंत्रण के कार्य भार ग्रहण/अधिग्रहण और गैर-बैंक पीएसओ की भुगतान प्रणाली गतिविधि की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता' के पैराग्राफ 3(i) अनुलग्नक-1 के संदर्भ में)

यह सूचना पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ("पीएलआई") और पाइन लैब्स लिमिटेड ("पीएलएस") द्वारा संयुक्त रूप से 'गैर-बैंक पीएसओ के नियंत्रण के ग्रहण/अधिग्रहण और गैर-बैंक पीएसओ की भुगतान प्रणाली गतिविधि की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता' के पैराग्राफ 3(i), अनुलग्नक-1 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसका संदर्भ संख्या CO.DPSS.POLC.No.S-590/02-14-006/2022-23 है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा 04 जुलाई, 2022 को जारी किया गया है ("पीएसओ नियंत्रण परिपत्र में परिवर्तन")

पीएलआई की पृष्ठभूमि : पीएलआई एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसे 18 मई, 1998 को निगमित किया गया था, जिसका सीआईएन - U67100HR1998PTC11331 है और इसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 408, 4वीं मंजिल, टाइम टावर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुडगांव, हरियाणा, 122002 में है। पीएलआई को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसके पास प्रीपेड भुगतान लिखित सेवाओं का लाइसेंस है और पेमेंट एग्रीगेटर का व्यापार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति है। यह 'पाइन लैब्स' ब्रांड नाम से संचालित होता है।

पीएलएस की पृष्ठभूमि : पीएलएस को सिंगापुर में 15 जुलाई, 2013 को सिंगापुर कंपनी अधिनियम, 1967 के तहत शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, और इसका पंजीकृत कार्यालय 38 बीच रोड, #29-11, साउथ बीच टॉवर, सिंगापुर 189767 में है। पीएलएस सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 3 सितंबर, 2021 को सिंगापुर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गई।

प्रस्तावित लेनदेन : विदेशी मुद्रा प्रबंधन (सीमा पार विलय) विनियम, 2018 के अनुसार पीएलआई और पीएलएस के बीच इनबाउंड विलय के अनुसरण में, निम्नलिखित के साथ दायर व्यवस्था की एक योजना : (क) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") द्वारा भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के साथ धारा 234 और इसके अन्य संगत प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन में; और (ख) सिंगापुर गणराज्य के उच्च न्यायालय ("एचसी सिंगापुर"), सिंगापुर के कंपनी अधिनियम, 1967 की धारा 210 के प्रावधानों के साथ धारा 212 और अन्य संगत प्रावधानों के अनुपालन में, संबंधित एनसीएलटी और एचसी सिंगापुर ("योजनाएं") द्वारा अनुमोदित किया गया है ("प्रस्तावित लेनदेन")। इस समामेलन के प्रभावी होने पर, पूरा उपक्रम और पीएलएस की संपत्तियां और देनदारियां पीएलआई को हस्तांतरित की जाएंगी और समापन के बिना उसमें निहित हो जाएंगी।

प्रस्तावित लेनदेन के पूरा होने पर, नियंत्रण, शेयरधारिता, निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन और पीएलआई के प्रबंधन में परिवर्तन होगा।

अनुमोदन : पीएसओ परिवर्तन नियंत्रण परिपत्र के अनुसार, आरबीआई ने पीएलआई को जारी किए गए अपने पत्र संदर्भ संख्या CO.DPSS.AUTH.No.S1018/02.27.004/2024-25 दिनांक 9 जनवरी, 2025 के माध्यम से प्रस्तावित लेनदेन के लिए अपनी कोई आपत्ति नहीं बताई है। प्रस्तावित लेनदेन योजनाओं के तहत विभिन्न सहमत शर्तों की पूर्ति पर प्रभावी होगा और पीएसओ परिवर्तन नियंत्रण परिपत्र के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 (पंद्रह) कैलेंडर दिनों से पहले नहीं होगा।

इस नोटिस की एक प्रति पीएलआई की वेबसाइट www.pinelabs.com पर भी उपलब्ध है।

पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए

नाम : इंद्रेश कुमार गुप्ता
पदनाम : अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पाइन लैब्स लिमिटेड के लिए

नाम : मार्क के मैथेंज
पदनाम : अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता